न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 334/2015
प्रविष्टि दिनांक 08.10.2015

श्रीमति धनकंवर साहू धर्मपत्नि रामनारायण जाति साहू निवासी देवली रोड टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री मनमोहन शर्मा,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री गजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 11.04.2018

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 13/6 में 100 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है। प्रार्थी की उक्त भूमि मे से 35 वर्गमीटर भूमि का अवार्ड जारी किया जावे तथा 65 वर्गमीटर भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 129/2012/204 दिनांक 04.08.2014 तलब की गई। हमने बहस अभिभाषगण सुनी।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवाप्तशुद्वा भूमि ग्राम शकूरपुरा तहसील टोंक मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 13 मे से कुल अवाप्तशुद्वा 400 वर्गमीटर भूमि मे से प्रार्थी की खसरा नम्बर 13/6 की 100 वर्गमीटर भूमि किस्म माल—3 अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी को यदि भूमि के स्वामित्व के संबंध मे किसी प्रकार का विवाद है तो सिविल न्यायालय से निस्तारण करा सकता है। न्यायालय हाजा से स्वामित्व का निर्धारण नही कर सकता हैं। सक्षम

प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी।बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 129/2012/204 दिनांक 04.08.2014 से श्रीमति धनकंवर धर्मपत्नि रामनारायण जाति साहू सा0 टोंक के हक मे ख0नं0 13/6 रकबा 100 वर्गमीटर वाके ग्राम शकूरपुरा का मुआवजा किस्म माल–3 दर से निर्धारण किया गया। प्रार्थी का कथन है कि अवाप्तशुद्वा 100 वर्गमीटर भूमि मे से 35 वर्गमीटर भूमि ही सडक निर्माण मे आई है,शेष 65 वर्गमीटर भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया जावे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अवाप्ति के क्षेत्रफल बाबत आपत्ति है। भूमि अवाप्त क्षेत्रफल का निर्धारण करने का क्षैत्राधिकारी न्यायालय हाजा को नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि प्रार्थी चाहे तो क्षेत्रफल के संबंध मे सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करे। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 11.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12
(जिला कलेक्टर) टोंक